सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00138

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0
निगरानी प्रकरण सं0 30/2017

1. कृष्णलाल पुत्र श्री रावताराम जाति जाट उम्र 55 वर्ष निवासी गांव 49 एल.एल.डब्ल्यू तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

निगरानीकर्ता

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र श्री मनफूलराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी 49 एल.एल.डब्ल्यू तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।
2. ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित :
1. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री बलकरण सिंह बराड़ अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता 1
3. अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत अनुपस्थित

:: आदेश :: **दिनांक :– 29.01.2020**

प्रस्तुत निगरानी का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.1999 एकपक्षीय तौर पर बिना किसी प्रकार की कानून कार्यवाही किया गया है। आबादी भूमि विक्रय विलेख दिनांक 20.12.1999 जो अप्रार्थी संख्या–1 के हक में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जारी किया गया है, के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत में कोई भी आवेदन अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही कोई आवेदन शुल्क ग्राम पंचायत में जमा करवाया और ना ही मौका निरीक्षण किया गया और ना ही मौका की जांच कमेटी कमेटी बनाई गई और ना ही नक्शा मौका बनाया गया है तथा ना ही किसी भी प्रकार की रिपोर्ट कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई है और ना ही उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में कोई नक्शा ही तैयार किया गया ना ही उक्त भूखण्ड का विक्रय करने से पूर्व उप पंजीयक से कोई बाजार मूल्य की सूची मांगी गई तथा ना ही मौका पर किसी भी प्रकार की कोई बोली का आयोजन किया गया। पट्टा पत्रावली का संधारण भी नहीं किया गया और ना ही ग्राम पंचायत में कोई आज्ञा ही पारित की गई। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया के सरपंच की शाक्तियों का दुरूपयोग करते हुए स्वंय आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के हक में उक्त आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन से पूर्व पंचायत राज नियम 1996 के नियम 142 से 168 तक की पालना नहीं की गई है। पट्टा में भूखण्ड का जो साईज दिया गया है। जिसका साईज 135X62 फुट है कुल 8370 वर्गफुट का पट्टा जारी किया गया है जो कि केवल मात्र 200/– रूपये की राशि में आपसी बातचीत से बेचना बताया है और इस बेचान की आज्ञा प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 20.12.1999 की पुष्टि किस आदेश द्वारा की गई है, पट्टा में कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। पट्टा को देखने से स्पष्ट है कि पट्टा जालसाजी करके अप्रार्थी संख्या 01व 02 द्वारा पट्टा में अंकित गवाहान के साथ आपसी सांठ–गांठ करके तैयार किया गया प्रतीत होता है जिसके लिये प्रार्थी निगरानीकर्ता अलग से फौजदारी कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा प्रथमतया ही फर्जी है। निगरानीकर्ता की जहां तक जानकारी है, प्रार्थी की ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत 49 एलएलडब्ल्यू में भूखण्डों की कीमत 5 लाख रूपये से कम नहीं है। अप्रार्थी

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

द्वारा उक्त आवंटन वर्ष 1999 में किया जाना बताया है, उस समय भी कीमत 3 लाख रूपये से कम नहीं थी। अप्रार्थी संख्या 01 को अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा आवंटन किया गया है, उसके सम्बन्ध में वर्ष 2012 से विवाद चल रहा था मौका पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा नहीं रहा है। मौका पर कब्जागत जो नया निर्माण किया जा रहा है, उसकी फोटो निगरानी के साथ प्रस्तुत है। उक्त विवाद के सम्बन्ध में दस्तावेज निगरानी के साथ सलंग्न किये हुए है। आपसी बातचीत द्वारा विक्रय उसी स्थिति में किया जा सकता है जबकि मौका पर उस व्यक्ति का पुराना कब्जा हो, और ऐसी जगह को ग्राम पंचायत से खरीदने के लिये कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हो जबकि अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा जो आवंटन किया गया है, उक्त नियमों के विरूद्व जाकर किया गया है। पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जारी किया गया है, उसमें सचिव ग्राम पंचायत का कोई भी पृष्ठांकन और हस्ताक्षर नहीं है। उक्त पट्टा के पीछे जो माप वर्गगज की सूची अंकित की गई है, उसको भी सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत के नक्शा के अनुसार जो साईज का भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 01 को अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा आवंटित किया गया है, ग्राम पंचायत के नक्शा में उपलब्ध नहीं है, उक्त भूखण्ड बिना नक्शा के अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को आवंटित किया गया है। अतः निगरानी ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा के आदेश दिनांक 20.12.1999 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त आबादी भूमि जो ग्राम पंचायत की है, का कब्जा ग्राम पंचायत के सुपुर्द किये जाने के आदेश पारित किये जावें।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.1999 एकपक्षीय तौर पर बिना किसी प्रकार की कानून कार्यवाही किया गया है। आबादी भूमि विक्रय विलेख दिनांक 20.12.1999 जो अप्रार्थी संख्या–1 के हक में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जारी किया गया है, के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत में कोई भी आवेदन अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही कोई आवेदन शुल्क ग्राम पंचायत में जमा करवाया। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया के सरपंच की शाक्तियों का दुरूपयोग करते हुए स्वंय आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के हक में उक्त आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन से पूर्व पंचायत राज नियम 1996 के नियम 142 से 168 तक की पालना नहीं की गई है। पट्टा में भूखण्ड का जो साईज दिया गया है। जिसका साईज 135X62 फुट है कुल 8370 वर्गफुट का पट्टा जारी किया गया है जो कि केवल मात्र 200/– रूपये की राशि में आपसी बातचीत से बेचना बताया है। इस बेचान को प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 20.12.1999 की पुष्टि किस आदेश द्वारा की गई है, पट्टा में कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। पट्टा को देखने से स्पष्ट है कि पट्टा जालसाजी करके अप्रार्थी संख्या 01व 02 द्वारा पट्टा में अंकित गवाहान के साथ आपसी सांठ–गांठ करके तैयार किया गया प्रतीत होता है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 को जारी पट्टा प्रथमतया ही फर्जी है। निगरानीकर्ता की जहां तक जानकारी है, प्रार्थी की ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत 49 एलएलडब्ल्यू में भूखण्डों की कीमत 5 लाख रूपये से कम नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन वर्ष 1999 में किया जाना बताया है, उस समय भी कीमत 3 लाख रूपये से कम नहीं थी। अप्रार्थी संख्या 01 को अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा आवंटन किया गया है, उसके सम्बन्ध में वर्ष 2012 से विवाद चल रहा था मौका पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा जो आवंटन किया गया है, उक्त नियमों के विरूद्व जाकर किया गया है। पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जारी किया गया है, उसमें सचिव ग्राम पंचायत का कोई भी पृष्ठांकन और हस्ताक्षर नहीं है। उक्त पट्टा के पीछे जो माप वर्गगज की सूची अंकित की गई है, उसको भी सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। ग्राम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पंचायत के नक्शा के अनुसार जो साईज का भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 01 को अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा आवंटित किया गया है, ग्राम पंचायत के नक्शा में उपलब्ध नहीं है, उक्त भूखण्ड बिना नक्शा के अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को आवंटित किया गया है। अतः निगरानी ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा के आदेश दिनांक 20.12.1999 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त आबादी भूमि जो ग्राम पंचायत की है, का कब्जा ग्राम पंचायत के सुपुर्द किया जावे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि अप्रार्थी 49 एलएल डब्ल्यू ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा का स्थायी निवासी है ओर पेशे से काश्तकार है। अप्रार्थी को ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा द्वारा एक रजिस्टर्ड पट्टा संख्या 69 दिनांक 20.12.1999 को विधिवत तरीके से अहाता संख्या ई–42 साईज 135X62 फुट का जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी द्वारा अपनी मेहनत व मजदूरी से एक पक्का रिहायशी मकान सन् 2010 में निर्मित किया गया जिसमें अप्रार्थी अपने बाल बच्चों सहित शांतिपूर्वक स्थायी निवास करता आ रहा है। निगरानीकर्ता कृष्णलाल आदतन शिकायतन प्रवृति एवं झगडालू किस्म का व्यक्ति है जो बिला वजह ही झूठी शिकायतें प्रशासन के समक्ष दर्ज करवाता रहता है और बाद में भोले भाले लोगों को ब्लैकमेंल कर अच्छी राशि वसूल करता है। आवंटन शुदा अहाता संख्या ई–42 से प्रार्थी निगरानीकर्ता का कोई सरोकार नहीं है ना ही वह किसी प्रकार से इसके आवंटन से प्रभावित है ओर ना ही प्रार्थी निगरानीकर्ता का मकान अप्रार्थी के मकान के पास है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.12.1999 को पट्टा जारी करते समय पंचायत नियमों की पूर्ण रूप से पालना करते हुए पंचायत बैठक में प्रस्ताव लेकर उक्त अहाता का आवंटन कर अप्रार्थी के नाम से विधिवत तरीके से पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा महज यह कह देना कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी के नाम से फर्जी पट्टा जारी किया है मानने योग्य नहीं है क्योंकि विधि का एक सिद्वान्त है कि किसी भी चीजे को बिना साक्ष्य झूठा साबित नहीं किया जा सकता। यहां यह उल्लेख करना भी न्यायोचित होगा कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा का तमाम पंचायत रिकॉर्ड किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में एक एफ.आई.आर. पुलिस थाना घमूडवाली में दर्ज हुई है जिसका उल्लेख ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्र क्रमांक 97 दिनांक 14.12.2017 में बड़े स्पष्ट रूप से किया है। उक्त अहाता की जगह पर आवंटन से काफी अर्सा पूर्व से अप्रार्थी संख्या 1 के परिवार का कब्जा चला आ रहा था जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के नाम से पट्टा जारी किया गया। **अप्रार्थी द्वारा सन् 2012 में भी अप्रार्थी के विरूद्व विकास अधिकारी पदमपुर को शिकायत दर्ज करवायी थी जिस पर विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत से रिपोर्ट तलब की तो ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.12.2012 को बड़ी स्पष्ट रिपोर्ट आयी " कि दलीप कुमार पुत्र मनफूलाराम जाति जाट द्वारा किसी प्रकार की कोई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है न ही रहा है गऊशाला के पास प्लॉट है जिस पर दलीप कुमार अपना रिहायशी मकान बनाकर निवास कर रहा है"। इस पर शिकायतकर्ता कृष्णलाल पुत्र रावता राम जाति जाट की शिकायत झूठी पायी गयी।** प्रार्थी द्वारा बार–बार यह कहना कि अप्रार्थी द्वारा गवाहन से मिलकर फर्जी पट्टा तैयार किया है इसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा आज तक अप्रार्थी के विरूद्व किसी प्रकार की कोई फौजदारी कार्यवाही नहीं की गयी। प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गयी जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी का बना हुआ मकान ई–42 सरकारी भूमि पर हो। अतः प्रार्थी की निगरानी सव्यय निरस्त फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि गैरनिगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 69 दिनांक 20.12.1999 को विधिवत तरीके से अहाता संख्या ई–42 साईज 135X62 फुट का जारी किया गया जिस पर गैरनिगरानीकर्ता वर्ष 2010 से निवास कर रहा है। सचिव ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा ने अपने पत्रांक 97 दिनांक 14.12.2017 द्वारा जो रिकॉर्ड भिजवाया गया उसमें केवल मात्र रोकड़ बही सामान्य भिजवाते हुए इंगित किया कि ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आबादी भूमि रजिस्टर, नक्शा, पट्टा बही गुम है उक्त रिकॉर्ड की गुमशुदगी की एफ.आई. आर.नम्बर 135/2011 पुलिस थाना घमुडवाली में दर्ज है। वर्ष 2012 में सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी निगरानीकर्ता कृष्णलाल पुत्र रावताराम द्वारा की गई शिकायत की जांच में अंकित किया है कि " **गैरनिगरानीकर्ता द्वारा किसी प्रकार की कोई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है न हो रहा है, गुऊशाला के पास दलीप कुमार का प्लाट है जिस पर अप्रार्थी का कब्जा है एवं मकान बनाकर रिहायश कर रहा है।**" ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा द्वारा पट्टा संख्या 69 दिनांक 20.12.1999 के सम्बन्ध में कोई ऐसी आपत्ति पेश नहीं की है जिससे यह प्रतीत हो की पट्टा गलत जारी किया गया हो। अतः निगरानीकृत आदेश दिनांक 20.12.1999 में हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. गुंजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर